NATIONAL PHYSICAL LABORATORY



(Council of Scientific and Industrial Research)
HILLSIDE ROAD, NEW DELHI-110012

FORM-3

SEE RULE 54 (12)

DETAILS OF FAMILY

Name of the Council Servar	nt			
Designation	Date of B	Date of Birth		
Date of Appointment				
Details of the members of n	ny family* as on	estructor fulle occurred. I		
S.No. Name of the men of family	nbers Date of Relations Birth with the officer	ne Head of the		
1.		-		
2.	7 - u			
3.	:			
4.		× ·		
5.	5			
6.				
7.		-		
8.				
9.	ip enser o lean (Charle have need)			
10.		1		
I hereby undertake t of Office addition or altera		o date by notifying to the Audit Officer/Hea		
Date :				
Place : New Delhi		Signature of Council Servan		

- * FAMILY for this purpose means:
- A. Wife, in the case of a male Council Servant.
- B. Husband, in the case of female Council Servant.
- C. Sons below eighteen years of age and unmarried daughters below twenty one years of age, including son or daughter adopted legally before retirement.

Note: Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

नई दिल्ली - 110012 फार्म-3 नियम 54 12 देखें परिवार का विवरण

परिषद के	कर्मचारी का नाम			J
पदनाम				
नियुक्ति की	तिथि		दिनांक	
को मेरे परि	रेवार के सदस्यों का विवरण ।		*	
क्रम सं०	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	अधिकारी के साथ संबंध	कार्यालय प्रमुख की प्रारम्भिक टिप्पणी
1.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		and the activate times, against any five dependency or county in a county and in account of the county of the coun		
देते हुए उप	मैं एतद् द्वारा प्रतिज्ञा करता हूं /क र्युक्त विवरण को अद्यतन रखूँगा/रखूँ	रती हूं कि लेखा फ गी ।	रीक्षा अधिकारी/कार्यालय प्रमु	ख परिवर्तन अथवा परिवर्धन की सूचना
तिथि :				
ाताय : रथान : नई	दिल्ली			परिषद कर्मचारी के हस्ताक्षर
		4		

इस उद्देश्य के लिए परिवार से तात्पर्य है:

- अ पुरुष परिषद कर्मचारी के मामले में पत्नी
- व महिला परिषद कर्मचारी के मामले में पति
- स अट्ठारह वर् से कम आयु के पुत्र और 21 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियाँ, जिसमें सेवा निवृत्ति से पूर्व वैधानिक रुप से गोद लिया पुत्र अथवा पुत्री शामिल होंगे ।

टिप्पणी :- पत्नी और पति में न्यायिक / रुप से अलग हुए क्रमशः पत्नी एवं पति शामिल होंगे ।